FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम करौली कैम्प सायपुर

रवि कुमार बनाम ग्राम पंचायत सायपुर

किस्म मुकदमा अपील नामा० नं० 5/18 24-5-18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प सायपुर पर पेश हुई। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर कैम्प स्थल पर ही रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत सायपुर को तलब किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को सुना गया। अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश की है कि नामा० संख्या 261 दिनांक 15/5/1995 ग्राम सायपुर मे अपीलान्ट का नाम पटवारी हल्का द्वारा बिना जाँच किये वाकुली दर्ज किया है जो गलत है। एवं अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सायपुर द्वारा भी अपीलान्ट को बिना सुनवाई जेर अपील निर्णय एक पक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना कर कर पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। अन्त मे नामा० नं 261 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र आधारकार्ड व बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति का विवेचन किया गया एवं [illegible]	[illegible signature] सरपंच ग्राम पंचायत सायपुर प०स० करौली (जिला-करौली)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
24/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प सायपुर पर पेश हुई। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर कैम्प स्थल पर ही रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत सायपुर को तलब किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को सुना गया। अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश की है कि नामा० संख्या 261 दिनांक 15/5/1995 ग्राम सायपुर मे अपीलान्ट का नाम पटवारी हल्का द्वारा बिना जाँच किये बाबूलाल दर्ज किया है जो गलत है। एवं अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सायपुर द्वारा भी अपीलान्ट को बिना सुनवाई जेर अपील निर्णय एक पक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना कर कर पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। अन्त मे नामा० नं 261 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड व बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति का विवेचन किया गया एवं नामा० का भी अवलोकन किया गया प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से अपीलान्ट का नाम बाबूलाल नही होकर रवि कुमार है। जिसे रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत ने भी अपीलान्ट का नाम रवि कुमार होना स्वीकार किया है। प्रार्थी अपीलान्ट का नाम नामा०	गणेश (हस्ताक्षर) सरपंच ग्राम पंचायत सायपुर पं०स० करौली (जिला-करौली)

(हस्ताक्षर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे विना जांच किये वावुल्ली दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। जवकि अपीलान्ट का वास्तविक व सही नाम रवि कुमार है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। अत: अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामा० संख्या 261 दिनांक 15/5/1995 ग्राम सापपुर तहसील करौली निरस्त किया जाता है पत्रावली नामा० तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलान्ट के सही नाम की जांच कर पुन: नामान्तरकरण दर्ज कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 24/5/18 उपखण्ड अधिकारी करौली 24/5/18.	जारी 1605 22.6.18